

कार की बिक्री के लिए विवरण और नियम एवं शर्तें

1.0 कार का विवरण :

1.	पंजीकरण सं.	डीएल2सीपी3445
2.	मॉडल नं.	बलीनो एलएक्सआई
3.	वाहन की श्रेणी	एल.एल.वी. (कार)
4.	चेसिस संख्या	112847
5.	इंजन संख्या	506883
6.	निर्माता का नाम	मारुति उद्योग लिमिटेड
7.	पंजीकरण की तिथि	01/10/2004
8.	निर्माण का वर्ष	2004
9.	रंग	काला
10.	वाहन में उपयोग होने वाला ईंधन	पेट्रोल
11.	माइलेज:	1.20 लाख किमी

2.0 बोली हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें :

- 2.1 **वैट/कर :** नियम एवं शर्तों के अनुसार खरीददार द्वारा वहन किया जाएगा। वर्तमान में वैट की दर बिक्री मूल्य का @12.50 प्रतिशत है।
- 2.2 **अग्रिम धनराशि :** वाहन बोलीदाता के नाम पर हस्तांतरित होने के बाद रु. 10,000/- की धनराशि वापस कर दी जाएगी।
- 2.3 **बोलीदाता अपनी बोलियां सीलबंद लिफाफा में रु. 10,000/- डिमांड ड्राफ्ट, पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के पक्ष में देय, दिनांक 15.02.2012, 3.00 बजे तक या उससे पहले वरिष्ठ विपणन प्रबंधक (विज्ञप्ति एवं परिवहन कक्ष), पीईसी लिमिटेड, 13वाँ तल, हंसालय भवन, 15-बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली – 110001, पते पर भेज सकते हैं। बोलियां 15.02.2012 को शाम 3.15 बजे पीईसी कार्यालय के सम्मेलन कक्ष, 13वाँ तल, हंसालय भवन, 15-बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली – 110001 में सभी बोलीदाता/उनके प्रतिनिधियों जो भी इसमें शामिल होना चाहें, की उपस्थिति में खोली जाएंगी।**
- 2.4 **कार "जैसा है जहाँ है" के आधार पर बेची जाएगी। कार टेलीफोन नं. 23315623 पर, वरिष्ठ विपणन प्रबंधक (नयाचार एवं परिवहन कक्ष) से पूर्व अनुमति लेने के बाद देखने हेतु हंसालय भवन के परिसर में 09.02.2012 से 13.02.2012 (कार्य दिवसों पर) तक शाम 3.00 से 4.00 बजे तक उपलब्ध रहेगी।**
- 2.5 **बोलीदाता, बोली पीईसी द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही, उपयुक्त धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट और वैट/टैक्स इत्यादि, "पीईसी लिमिटेड" नई दिल्ली के पक्ष में देय, बोली स्वीकृत होने की तारीख से 3 कार्य दिवस में जमा कर देनी चाहिए।**
- 2.6 **यदि बोलीदाता, जिसकी बोली पीईसी द्वारा स्वीकार की गई है नियत समयावधि के अंतर्गत उपरोक्त धनराशि जमा नहीं कर पाता है तो उसकी अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी।**

2.7 पीईसी के पास कोई कारण बताए बिना कोई या सभी बोलियां स्वीकार या रद्द करने का अधिकार आरक्षित है।

2.8 सरकारी नीति के अनुसार कार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी विभाग द्वारा बेची गई कार को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कार को पीईसी लिमिटेड की बिना पूर्व अनुमति के दिल्ली राज्य के बाहर हस्तांतरित या पंजीकृत करवाया जा सकता है। वाहन को अपने नाम में हस्तांतरित/पंजीकृत करवाना खरीददार की उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। खरीददार को बिक्री पत्र निर्गत किए जाने वाली तारीख से 30 दिन के भीतर वाहन को अपने नाम पर स्थानांतरित करने पर आवश्यक शपथ-पत्र और आपूर्ति की रसीद जमा करनी होगी। यद्यपि पीईसी वाहन के हस्तान्तरण के लिए आवश्यक पत्र/दस्तावेज बोलीदाता के पक्ष में प्रदान करेगा। सफल बोलीदाता द्वारा जमा की जाने वाली रु. 10,000/- अग्रिम राशि सत्यापन के लिए मूल आर.सी. के साथ हस्तांतरण पंजीकरण की सफल प्रति जमा करने के बाद ही वापस किया जा सकेगा।

3.0 बोलियां निम्नलिखित प्रारूप में जमा की जानी चाहिए :

1. बोलीदाता का नाम
2. बोलीदाता का पता
3. टेलीफोन और मोबाइल नं.
4. आवास (राशन कार्ड/पासपोर्ट/चुनाव पहचान-पत्र) का पहचान पत्र
5. आय कर पैन कार्ड की प्रति
6. अग्रिम राशि ड्राफ्ट सं. और तारीख
7. बैंक और शाखा का नाम

8. बोली की राशि रु.
वैट @ 12.50 % : रु.
कुल रु.

कुल राशि शब्दों में

उपरोक्त नियम एवं शर्तें मुझे/हमें स्वीकार हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

